

स्थायी सधु आयोग की बैठक

प्रलिस के लयः

स्थायी सधु आयोग, सधु जल संध, सधु और इसकी सहायक नदयों ।

मेन्स के लयः

सधु जल संध और संबधति मुद्दे, सधु जल संध का इतहास और भारत-पाकसितान संबधों पर इसका प्रभाव, भारत-पाकसितान संबध ।

चर्चा में क्यो?

भारत और पाकसितान के बीच 'स्थायी सधु आयोग' (PIC) की 117वीं बैठक आयोजति की गई ।

- इससे पहले केंद्र सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के सदस्यों के चयन के लयि नए मानदंड अपनाने का फैसला कयि था ।

बैठक की मुख्य वशेषताएँ:

- दोनों पक्षों ने जल वजिज्ञान और बाढ़ के आँकड़ों के आदान-प्रदान पर चर्चा की, जसके दौरान भारतीय पक्ष ने इस बात पर ज़ोर दयि क उसकी सभी परयोजनाएँ सधु जल संध के प्रावधानों का पूरी तरह से अनुपालन करती हैं ।
- 'फाजलिका नाले' के मुद्दे पर भी चर्चा हुई और पाकसितान ने आशवासन दयि क सतलुज नदी में फाजलिका नाले के मुक्त प्रवाह को सुनश्चिति करने के लयि सभी आवश्यक कार्रवाई जारी रहेगी ।
 - 'फाजलिका नाला' उन 22 नालों और जलाशयों में से एक है, जहाँ मालवा ज़िले (पंजाब, भारत) का अनुपचारति पानी छोड़ा जाता है ।
 - देशों की सीमा रेखा पर नाला बंद है, जससे तालाबों में ठहराव आ जाता है और सीमावर्ती क्षेत्र में भूजल की गुणवत्ता में गरिावट आती है ।
- पाकल दुल, करू और लोअर कलनई जैसी परयोजनाओं के संबध में तकनीकी चर्चा भी की गई ।
 - पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (1000 मेगावाट) केंद्रशासति प्रदेश जम्मू-कश्मीर में चनाब नदी की एक सहायक नदी 'मरुसुदर' पर प्रस्तावति है ।
 - जम्मू-कश्मीर के कश्तिवाड़ ज़िले में स्थति चनाब नदी पर करू जलवदियुत परयोजना (624 मेगावाट) प्रस्तावति है ।
 - लोअर कलनई परयोजना 'जम्मू-कश्मीर' के डोडा और कश्तिवाड़ ज़िलों में एक पनबजली परयोजना है ।
- भारतीय पक्ष ने स्पष्ट रूप से बताया क एक ऊपरी तटवर्ती राज्य के रूप में भारत संध के तहत अनविरय रूप से प्रतविरष जलाशयों से पानी के नरिवहन और बाढ़ प्रवाह के बारे में जानकारी प्रदान करता रहा है ।

सधु जल संध का इतहास क्या है?

- सधु नदी बेसनि में छह नदयों हैं- सधु, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज; जो कतिबिबत से नकिलती है तथा हमिलय पर्वतमाला से बहती हुई पाकसितान में प्रवेश करती है और अंततः अरब सागर में मलि जाती है ।
- वर्ष 1947 में भारत और पाकसितान के लयि भौगोलिक सीमाओं को चतिरति करने के अलावा वभिजन की रेखा ने सधु नदी प्रणाली को भी दो भागों में बाँट दयि था ।
 - चूँक दोनों पक्ष अपने सचिाई बुनयिादी ढाँचे को क्रयिाशील रखने के लयि सधु नदी बेसनि के पानी पर नरिभर थे, इसलयि इस नदी के जल को समान रूप से वभिजति कयि गया ।
- प्रारंभ में मई, 1948 के अंतर-प्रभुत्व समझौते को अपनाया गया था, जसमें दोनों देशों ने एक सम्मेलन के लयि सहमती व्यक्त की जसके बाद फैसला कयि क भारत पाकसितान द्वारा कयि गए वार्षिक भुगतान के बदले में पाकसितान को पानी की आपूर्ति करेगा ।
 - हालाँक यह समझौता जल्द ही वधितति हो गया क्योँक दोनों देश इसकी सामान्य व्याख्याओं पर सहमत नहीं हो सके ।
- वर्ष 1951 में इस जल-बँटवारे के वविाद की पृष्ठभूमि में दोनों देशों ने सधु और उसकी सहायक नदयों पर अपनी-अपनी सचिाई परयोजनाओं के वतितपोषण के लयि वशिव बैंक में आवेदन कयि व वशिव बैंक ने संघर्ष में मध्यस्थता की पेशकश की ।
- अंततः 1960 में वशिव बैंक द्वारा लगभग एक दशक की तथ्य-खोज, बातचीत, प्रस्तावों और उनमें संशोधन के बाद दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ

तथा सधु जल संधि (IWT) पर पूरुव प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं पाकसिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा हस्ताक्षर कयि गए ।

The Indus Waters Treaty (IWT)

- The distribution of waters of the Indus and its tributaries between India and Pakistan is governed by the Indus Water Treaty (IWT).
- Was signed on Sept 19, 1960, between India, Pakistan and a representative of World Bank after eight years of negotiations.
- Partition of India cut across the Indus river basin, which has the Indus river, plus five of its main tributaries.

Western rivers Chenab, Jhelum, Indus

India's rights over these rivers: Limited — can set up certain irrigation, run-of-the-river power plants, very limited storage, domestic and non-consumptive use, all subject to conditions

Eastern rivers Sutlej, Beas, Ravi

India's rights over these rivers: All exclusive rights lie with India.

Indus Waters Commission a success story

- Once every five years, conducts a general inspection of all rivers in parts. Total inspection tours so far: Over 100
- Regularly meets once a year. Total meetings thus far, including those for taking up Pak objections: Over 100

Baglihar dam on Chenab

प्रमुख प्रावधान:

■ साझा जल:

- संधि ने निर्धारित किया कि सधु नदी प्रणाली की छह नदियों के जल को भारत और पाकसिस्तान के बीच कैसे साझा किया जाएगा ।
- इसके तहत तीन पश्चिमी नदियों- सधु, चनाब और झेलम को अप्रतबंधित जल उपयोग के लिये पाकसिस्तान को आवंटित किया, भारत द्वारा कुछ गैर-उपभोग्य, कृषि और घरेलू उपयोगों को छोड़कर अन्य तीन पूर्वी नदियों- रावी, ब्यास एवं सतलज को अप्रतबंधित जल उपयोग के लिये भारत को आवंटित किया गया था ।
 - इसका मतलब है कि जल का 80% हिससा या लगभग 135 मलियन एकड़ फीट (MAF) पाकसिस्तान में चला गया, जबकि शेष 33 MAF या 20% जल भारत के उपयोग के लिये छोड़ दिया गया ।

■ स्थायी सधु आयोग:

- इसके लिये दोनों देशों को दोनों पक्षों के स्थायी आयुक्तों द्वारा एक स्थायी सधु आयोग की स्थापना की भी आवश्यकता थी ।

■ नदियों पर अधिकार:

- जबकि झेलम, चनाब और सधु के पानी पर पाकसिस्तान का अधिकार है, IWT के अनुलग्नक C में भारत को कुछ कृषि उपयोग की अनुमति है, जबकि अनुलग्नक D इसे 'रन ऑफ द रवि' जलवियुत परियोजनाओं का निर्माण करने की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि पानी के भंडारण की आवश्यकता नहीं है ।

■ डज़ाइन संबंधी वनिरिदेश:

- यह कुछ डज़ाइन वनिरिदेश भी प्रदान करता है जिनका भारत को ऐसी परियोजनाओं को विकसित करते समय पालन करना होता है ।

■ आपत्तियाँ उठाना:

- यह संधि पाकसिस्तान को भारत द्वारा बनाई जा रही ऐसी परियोजनाओं पर आपत्ति उठाने की भी अनुमति देती है, अगर वह उन्हें वनिरिदेशों के अनुरूप नहीं पाता है ।
- भारत को परियोजना के डज़ाइन या उसमें किये गए परिवर्तनों के बारे में पाकसिस्तान के साथ जानकारी साझा करनी है, जिससे प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर आपत्तियाँ, यदि कोई हो, के साथ जवाब देना आवश्यक है ।
- इसके अलावा भारत को पश्चिमी नदियों पर न्यूनतम भंडारण स्तर रखने की अनुमति है, जिसका अर्थ है कि यह संरक्षण और बाढ़ भंडारण उद्देश्यों के लिये 3.75 एमएफ पानी तक स्टोर कर सकता है ।

■ विवाद समाधान तंत्र:

- IWT तीन चरणों वाला विवाद समाधान तंत्र भी प्रदान करता है, जिसके तहत दोनों पक्षों के "प्रश्नों" का समाधान स्थायी आयोग में किया जा सकता है या इन्हें अंतर-सरकारी स्तर पर भी उठाया जा सकता है ।
- जल-बँटवारे को लेकर देशों के बीच अनसुलझे प्रश्नों या "मतभेदों", जैसे- तकनीकी मतभेद के मामले में कोई भी पक्ष नरिणय लेने के लिये तटस्थ वरिषज (NE) की नियुक्ति हेतु वरिष बैंक से संपर्क कर सकता है ।
 - और अंततः यदि कोई भी पक्ष पूर्वोत्तर के नरिणय से संतुष्ट नहीं है तो संधि मामलों की व्याख्या और सीमा "विवाद" से संबंधित मामला मध्यस्थता न्यायालय को संदर्भित किया जा सकता है ।

भू-राजनीतिक संघर्षों के बारे में:

- हाल के वर्षों में भारत और पाकस्तान के बीच भू-राजनीतिक तनाव के दौरान **सधु जल संधि** को कई बार चर्चा में लाया गया है।
- वर्ष 2016 में जम्मू-कश्मीर के उरी सैन्य शिविर पर हमले के बाद भारत ने कहा कि **रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते ("Blood and Water cannot flow simultaneously)"** जिसके तुरंत बाद भारतीय पक्ष द्वारा स्थायी सधु आयोग की वार्ता उस वर्ष के लिये नलिंबति कर दी गई, जिसने एक बट्टि पर संधि से बाहर निकलने की धमकी भी दी थी।
- वर्ष 2019 में जब पुलवामा में आत्मघाती हमला हुआ और जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत हो गई, भारत ने पहली बार सधु नदी प्रणाली से पाकस्तान को पानी की आपूर्ति बंद करने की धमकी दी थी।
- बाद में यह स्पष्ट किया गया कि पाकस्तान की आपूर्ति को प्रतबंधित करना आईडब्ल्यूटी (IWT) का उल्लंघन होगा तथा केंद्र के शीर्ष अधिकारियों के विचार की आवश्यकता होगी।
 - IWT के पास कोई एकतरफा विकास प्रावधान नहीं है और इसे तब तक लागू रहना चाहिये जब तक कि दोनों देश एक और पारस्परिक रूप से सहमत समझौते की पुष्टि नहीं करते।

स्थायी सधु आयोग:

- यह भारत और पाकस्तान के अधिकारियों का एक द्विपक्षीय आयोग है, जिससे **सधु जल संधि** (वर्ष 1960) के कार्यान्वयन एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बनाया गया था।
- सधु जल संधि के अनुसार, आयोग वर्ष में **कम-से-कम एक बार नियमिति** तौर पर भारत और पाकस्तान में बैठक करेगा।
- आयोग के नमिनलखिति कार्य हैं:
 - नदियों के जल से संबंधित दोनों देशों की सरकारों की किसी भी समस्या का अध्ययन करना और दोनों सरकारों को रिपोर्ट देना।
 - जल बँटवारे को लेकर उत्पन्न विवादों का समाधान करना।
 - प्रत्येक पाँच वर्षों में एक बार नदियों का निरीक्षण करने हेतु सामान्य दौरा करना।
 - संधि के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठाना।

स्रोत: द हद्वि

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/permanent-indus-commission-meeting>

